छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन ,नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ 4–9/2014/29–1 रायपुर, दिनांक 24/03/2020

आदेश

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, के प्रावधानों के अन्तर्गत कोरोना महामारी के प्रबंधन की अन्त्यावश्कता के दृष्टिगत निम्नलिखित सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया जाता हैः–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों यथा–बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज इत्यादि का संचलन, भण्डारण एवं वितरण ;
2. खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग–अनलोडिंग ;
3. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अन्तर्गत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग– अनलोडिंग एवं परिवहन;
4. धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें;
5. अधिसूचित पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. पम्पों/ प्रदाय ईकाईयों द्वारा पेट्रोल/डीजल/सी. एन.जी. का प्रदाय ;
6. एल.पी.जी. (घरेलु तथा व्यवसायिक) का प्रदाय ;
7. अन्य कोई अतिरिक्त सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक घोषित किया जाये।

उपरोक्त आदेश के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), सेनेटाईजेशन एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

(मनोज कुमार सोनी) 24/3
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक–एफ 4–9/2014/29–1 अटल नगर, दिनांक 24/03/2020

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. आयुक्त –सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
11. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
12. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
13. महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर।
14. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Manoj 24/03/20

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

Scanned with CamScanner